समाहर्त्ता–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, बोकारो।

राजसात् वाद संख्या–23 / 2023–24
जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो (राज्य)
–बनाम्–
विकास कुमार राय एवं अन्य
–::आदेश::–

05.10.2023

अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख एवं उसमें संलग्न कागजातों का अवलोकन किया गया। जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो के अधियाचना सं0–28 / 2023, दिनांक–10.06.2023 के द्वारा सूचित किया गया है कि चास (मु0) थाना कांड सं0–101 / 2023, दिनांक–30.05.2023 के अन्तर्गत जप्त 1. महेन्द्रा ट्रैक्टर वाहन सं0–JH09AN-9020 एवं उस पर लदा करीब 100 घनफीट अवैध बालू, वाहन चालक श्री विकास कुमार राय पिता श्री सुरेश राय, सा0–बोरवा, पो0–महुदा, थाना महुदा, जिला धनबाद 2. ट्रैक्टर Make-International tractors Ltd. Model–DI-35SMHDM, Chessis No. JZJSJ121501085M, Eng.No. 3100FLU24H1206509F18/ Trolly एवं उस पर लदा करीब 100 घनफीट अवैध बालू वाहन चालक श्री दीपक कुमार सिंह पिता श्री संतोष सिंह, सा0–काशीटाँड़, थाना महुदा, जिला धनबाद के विरूद्ध अवैध खनन एवं परिवहन करने के आरोप में दर्ज किया गया है। फलस्वरूप उनके The Jharkhand Minerals (Prevention of illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2017 के तहत जप्त वाहन एवं बालू को राजसात् की कार्यवाही करने हेतु यह वाद दायर किया गया है।

वाद का सारांश है कि दिनांक–30.05.2023 को प्रातः 6:00 बजे श्री जितेन्द्र कुमार महतो, खान निरीक्षक, बोकारो, थाना प्रभारी चास (मु0) एवं पुलिस बल के साथ संबधित थाना क्षेत्र के अन्तर्गत पानी टंकी मोड़ (काला पत्थर) पर निरीक्षण के दौरान प्रश्नगत ट्रैक्टरों को अवैध रूप से बालु के खनन कर परिवहन करने के क्रम में पकड़ा गया है। तत्पश्चात विधिवत रूप से जप्ती सूची बना कर उक्त वाहन एवं उस पर लदा बालू तथा वाहन मालिक / चालक के विरूद्ध चास (मु0) थाना में काण्ड दर्ज किया गया।

उक्त के क्रम में वाद की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए सभी प्रतिवादियों को निबंधित डाक के माध्यम से अपना–अपना पक्ष रखने के लिए सूचित किया गया। जिसके आलोक में प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा उपस्थिति दर्ज करते हुए कारण–पृच्छा दाखिल किया गया है।

प्रतिवादी की ओर से दाखिल कारण–पृच्छा में उल्लेख किया गया है कि वर्तमान अधिहरण वाद सच्चाईयों पर एवं कानून के दृष्टिकोण से चलाने योग्य नहीं है। वादी के द्वारा विपक्षी के विरूद्ध लगाये गये आरोप सत्य से बिल्कुल परे, मनगढ़ंत एवं बेबुनियाद है। विपक्षी सुरज कुमार महतो एवं दिपक कुमार सिंह क्रमशः महेन्द्रा ट्रैक्टर वाहन सं0–JH09AN-9020 एवं ट्रैक्टर रजि0 सं0– JH10CN-3313 Make-International tractors Ltd. Model–DI-35SMHDM, Chessis No. JZJSJ121501085M, Eng.No. 3100FLU24H1206509F18/ Trolly के मालिक है और वह निर्दोष है। उन्हें इस वाद में गलत तरीके से फँसाया गया है। जप्ती के समय वाहन खाली अवस्था में था, इसका उपयोग बालु के परिवहन में नहीं किया गया था। वास्तविक तथ्य यह है कि घटना कि तिथि एवं समय पर प्रतिवादी दीपक कुमार सिंह कृषि कार्य एवं उपयोग के लिए गोबर का खाद लाने के लिए कालापत्थर जा रहे थे। इसी स्थानीय पुलिस ने बिना किसी कारण के वाहन को रोक दिया और मात्र संदेह के आधार पर प्राथमिकी दर्ज किया गया है। जप्ती सूची तैयार करने के दौरान किसी भी स्वतंत्र गवाह से भी इसका सत्यापन नहीं किया गया। जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो के द्वारा The Jharkhand Minerals (Prevention of illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2017 के नियम 11 में उल्लेखित प्रक्रिया का भी पालन नहीं किया गया है। उनके विद्वान अधिवक्ता के द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है कि प्रतिवादी ने झारखण्ड खान और खनिज अधिनियम या उसके संबद्ध अधिनियमों और नियमों के किसी भी नियम और विनियम का उल्लंघन नहीं किया गया है। वर्ममान में प्रतिवादी जमानत पर रिहा है। वह एक गरीब ग्रामीण है और प्रश्नगत वाहन उसके आजीविका का एक मात्र साधन है। इसलिए यह अधिहरण

की कार्यवाही विधिक नहीं है। अतः न्यायहित में इस वाद को खारिज करते हुए समाप्त करने का अनुरोध किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि प्रश्नगत वाहन के चालक/मालिक के द्वारा बिना परिवहन चालान के ही बालु का परिवहन किया जा रहा था। बिना वैध कागजात के बालु का परिवहन करने से सरकार को राजस्व की क्षति हुई है। उल्लेखनीय है कि बिना वैध परिवहन चालान के खनिजों को उत्खनन कर परिवहन करना MMDR Act, 1957 की धारा–4(1)/4(1A) का उल्लंघन है, जो धारा–21 के तहत दण्डनीय है। इसके साथ ही झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 के नियम–4 का भी उल्लंघन है और नियम 54 के तहत दण्डनीय है। वर्णित परिस्थिति में जप्त वाहन के द्वारा अवैध रूप से बालु का खनन कर परिवहन करने के आरोप में The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storge) Rules, 2017 के तहत प्रतिवादी को किसी भी प्रकार की छुट नहीं दी जा सकती है। अतः जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो के अधियाचना सं0–28/2023, दिनांक–10.06.2023 को स्वीकृत करते हुए चास (मु0) थाना कांड सं0–101/2023, दिनांक–30.05.2023 के अन्तर्गत जप्त 1. महेन्द्रा ट्रैक्टर वाहन सं0–JH09AN-9020 एवं उस पर लदा करीब 100 घनफीट अवैध बालू 2. ट्रैक्टर Make-International tractors Ltd. Model–DI-35SMHDM, Chessis No. JZJSJ121501085M, Eng.No. 3100FLU24H1206509F18/Trolly एवं उस पर लदा करीब 100 घनफीट अवैध को बालू राज्य सरकार के हित में राजसात् (Confiscate) किया जाता है एवं वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

तदनुसार जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो को सूचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

05.10.23   05.10.23

समाहर्त्ता–सह–जिला दण्डाधिकारी, बोकारो।   समाहर्त्ता–सह–जिला दण्डाधिकारी, बोकारो।

C. C. Issued Vide No. 155 Dated 24/11/23

Digitally signed by VIJAYA NARAYANRAO JADHAV
Date: 2025.01.16 16:32:56 +05:30
Location: 192.168.1.103